न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध **बैंक प्रकरण संख्या 86/2023(GCMS : 2023/124)**

पंजाब नेशनल बैंक जरिये श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, कार्यालय SASTRA केन्द्र,प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. **मैसर्स कम्प ब्रिक्स जरिये प्रोपराईटर श्री नीरज गोयल** पुत्र श्री शिव दर्शन मार्फत चक 8 एनएनए, ग्राम पंचायत 8 एनएनए, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.) निवासी वार्ड नं. 14, नदजीक, डॉ मुकेश मित्तल, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. **श्री शिव दर्शन** पुत्र श्री बिहारी लाल निवासी वार्ड नं. 14, नजदीक डॉ. मुकेश मित्तल, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.08.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 19.06.2023 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स कल्प ब्रिक्स–प्रो. नीरज गोयल एवं शिव दर्शन को ऋण सुविधा के रूप में 48.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये अडतालिस लाख मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मैसर्स कल्प ब्रिक्स एवं शिव दर्शन द्वारा बंधक रखी अपनी इंडस्ट्रियल सम्पत्ति मुरबा नं. 12, किल्ला नं. 1,10,11,09/02(0.240 है.), 12/1(0.240 है.), 19/2(0.102 है.), 2/1(0.240 है.), 20(0.063 है.) (ईंट भट्टा), चक 8 एनएनए, ग्राम पंचायत 8 एनएनए, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.), का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की थी और अब चूंकि अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा बकाया राशि जमा करा दी गई है इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणियों के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की कोई कार्यवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रेस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.18 15:46:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 19.06.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा धारा 14 वित्तिय आरित्तयों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण मैसर्स कल्प ब्रिक्स–प्रो. नीरज गोयल एवं शिव दर्शन के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी नीरज गोयल की इंडस्ट्रियल सम्पत्ति मुरबा नं. 12, किल्ला नं. 1,10,11,09 / 02(0.240 है.), 12 / 1(0.240 है.), 19 / 2(0.102 है.), 2 / 1(0.240 है.), 20(0.063 है.) (ईंट भट्टा), चक 8 एनएनए, ग्राम पंचायत 8 एनएनए, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.), का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का लिखित प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक ने पेश किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है।** इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाखि़ल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाखि़ल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Rani
Date: 2023.09.18 15:26:07 IST
Reason: SelfAttested

(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर